फर्नीचर का भौतिक प्रस्तुतिकरण
एवं
मूल्य विवरण, आमंत्रण सूचना ।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा नवीन उच्च न्यायालय भवन, बोदरी बिलासपुर के लिये (इस वित्त वर्ष हेतु उपलब्ध बजट करीब एक करोड़, चौसठ लाख चवालीस हजार रू0 के अंतर्गत) फर्नीचर क्रय किया जाना है । फर्नीचर विक्रय करने वाले इच्छुक ऐसे प्रदायकर्ता/निर्माता/जिन्होने पिछले तीन वर्षो में इसी प्रकार के कम से कम रूपये 100 लाख के प्रतिवर्ष का प्रदाय कार्य, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर में किया हो, फर्नीचर का भौतिक प्रस्तुतिकरण (मूल्य विवरण एवं कैटलाग सहित) उच्च न्यायालय बिलासपुर के फर्नीचर क्रय समिति के समक्ष दिनॉक 25.02.2010 को सुबह 11:00 बजे करने हेतु वर्तमान उच्च न्यायालय परिसर के लाईब्रेरी हाल में आमंत्रित हैं।

नोटः–(1) क्रय की जाने वाली वस्तुओं की सूचि एवं इस संव्यवहार की अन्य शर्ते उच्च न्यायालय, बिलासपुर के web-site:- highcourt.cg.gov.in पर देखी जा सकती है ।

19.2.10

रजिस्ट्रार जनरल
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
बिलासपुर, छ0 ग0

"भौतिक प्रस्तुतिकरण हेतु फर्नीचर के प्रकार"

1- VVIP Table
2- VVIP Revolving Chair
3- Sofa Set (3+2)
4- Visitor Chair
5- Court Room Chair
6- Computer Table
7- Computer Chair
8- Steel Almirah
9- Chair on Dies
10- Table on Dies
11- Wardrobe
12- Resting Couch/Setty
13- Small Dining/Reading Table
14- Dressing Table
15- Small Crockery Case
16- Ofice Table With Locker
17- Office Chair
18- Office Table without Locker
19- Executive Table
20- Executive Chair
21- Sofa (3-1-1)
22- Conference Chair
23- Slotted Angle Rack
24- Side Rack
25- Auditorium Chairs
26- Perforated Chair 3 Seater

* * * * *

क्रय संव्यवहार के संदर्भ में शर्तें

1 (i) उच्च न्यायालय भवन के लिए क्रय की जाने वाली सामग्री (फर्नीचर) की लागत इस वित्त वर्ष 2009–10 हेतु करीब रू0 1,64,44,000/– हो सकेगी। क्रय हेतु आवश्यकता एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर आदेश दिये जा सकेंगे। फर्नीचर की आवश्यकता/ मात्रा जरूरत अनुसार कम/ ज्यादा हो सकती है।

(ii) इस संव्यवहार में भाग लेने वाले निर्माताओं एवं प्रदाय कर्ताओं के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पक्ष में देय रू0 1,50,000/– की राशि अर्नेस्ट मनी FDR के रूप में प्रस्तुत करें। किन्हीं परिस्थितियों में किसी निर्माता/ प्रदायकर्ता को क्रय आदेश न दिये जा सकने की स्थिति में उसके द्वारा प्रदत्त अर्नेस्ट मनी उसी दिन उन्मोचित कर दी जायेगी।

(iii) भाग लेने वाली एजेन्सी के लिए यह अनिवार्य होगा कि उसने पिछले तीन वर्षों में इसी प्रकार का अर्थात् फर्नीचर प्रदाय का, कम से कम रू0 100 लाख (रू. एक करोड़) का कार्य प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार/ पब्लिक सेक्टर में किया हो। इसकी पुष्टि हेतु उसे आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

(iv) प्रदायकर्ता द्वारा पिछले तीन वर्षों के आयकर रिटर्न की कापी (जो चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित हो) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(v) वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन का अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2 (i) बिन्दु क्र0 1 की शर्तों को पूर्ण किये जाने पर फर्नीचर प्रदाय कार्य हेतु प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तावित फर्नीचर आदि का पावर प्वाईंट प्रजेटेंशन, यदि हो तो तथा फिजिकल डिस्प्ले भी नियत तिथि एवं समय पर क्रय समिति के समक्ष देना होगा।

(ii) क्रय की जाने वाली वस्तुओं की सूची एवं इस संव्यवहार की अन्य शर्तें उच्च न्यायालय, बिलासपुर के **web-site :- highcourt.cg.gov.in** पर देखी जा सकती है।

(iii) भौतिक प्रस्तुतीकरण में चयनित फर्म के ही मूल्य विवरण विचार में लिये जायेंगे।

(iv) न्यूनतम मूल्य का आधार, क्रय की बाध्यता नहीं होगी।

(v) फर्नीचर का चयन, पसंद, गुणवत्ता, मूल्य, डिजाईन आदि पर निर्भर करेगा तथा उल्लेखित मूल्य में और कमी करने पर विचार विमर्श किया जा सकेगा।

(vi) भाग लेने वाली एजेन्सियों द्वारा सूचित दरें करों को शामिल करते हुए प्रस्तुत की जावें तथा वस्तु की कीमत और करों की जानकारी पृथक से भी दी जावे।

(vii) भौतिक प्रस्तुतीकरण में आर्टिकल अनुमोदित होने पर सामग्री के प्रदाय हेतु कार्यादेश जारी होने की तिथि से 25 दिन की समय सीमा में प्रदायकर्ता को प्रदाय कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। फर्नीचर हाईकोर्ट के नवीन भवन बोदरी, बिलासपुर के निर्धारित कक्षों में लगाकर देने होंगे।

(viii) प्रदायकर्ता द्वारा इस कार्य की सबलेटिंग अन्य किसी व्यक्ति या संस्था को नहीं की जा सकेगी।

(ix) कार्य की सबलेटिंग पाये जाने पर प्रदायकर्ता की अरनेस्ट मनी एवं परिसर में लाई गई सामग्री राजसात कर ली जावेगी।

3 (i) हाईकोर्ट के नवीन भवन में फर्नीचर तैयार करने या स्थापित किये जाने की अवधि में उसकी देखभाल हेतु प्रदायकर्ता को अपना स्वयं का चौकीदार रखना होगा।

(ii) फर्नीचर स्थापित किये जाने की अवधि में सामग्री की सुरक्षा का दायित्व उसका स्वयं का होगा।

(iii) इस अवधि में सामग्री की किसी भी प्रकार की हानि/चोरी का उत्तरदायित्व विभाग पर नहीं होगा।

4 (i) हाईकोर्ट के नवीन भवन में जो फर्नीचर फर्नीशिंग का कार्य किया जायेगा, प्रदायकर्ता उसमें 3 वर्ष की Defect Liability गारंटी देनी होगी।

(ii) Defect Liability अवधि में क्रय राशि की 05 प्रतिशत राशि **FDR** के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। यह **FDR** रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के नाम प्लेज की जायेगी।

(iii) अनुबंध की तिथि तक FDR जमा न करने पर प्रत्येक देयक से, देयक की देय राशि से 05 प्रतिशत राशि काटकर अतिरिक्त जमा राशि के रूप में विभाग द्वारा रखी जायेगी।

(iv) कार्य संतोषजनक पाये जाने पर Defect Liability की राशि निम्नानुसार वापिस की जायेगी :–

अ) कार्य पूर्णता तिथि के एक वर्ष पश्चात 20 प्रतिशत राशि।

ब) दो वर्ष पश्चात 30 प्रतिशत राशि।

स) तीन वर्ष पश्चात शेष बची हुई 50 प्रतिशत राशि।

(v) Defect Liability हेतु बैंक गारंटी स्वीकार नहीं होगी।

(vi) Defect Liability अवधि में फर्नीचर टेपेस्ट्री रेक्जीन में कोई टूट–फूट होती है तो प्रदायकर्ता को उसे स्वयं के व्यय पर रिपेयर कराना होगा। लिखित सूचना देने की 10 दिन की अवधि में यदि यह रिपेयर नहीं किया जाता है तो प्रदानकर्ता की Defect Liability की राशि से विभाग द्वारा आवश्यक रिपेयर कराया जावेगा।

5 Negotiation के अंतर्गत स्वीकृत दरें वित्त वर्ष 2009–2010 एवं 2010–2011 के लिये लागू होंगी एवं सफल एजेन्सी इस अवधि में उच्च न्यायालय द्वारा वांछित (जब और जितना) मात्रा में फर्नीचर प्रदाय करने हेतु बाध्य होगी।

6 इस सम्पूर्ण संव्यवहार के संबंध में रजिस्ट्रार जनरल का विवेकाधिकार एवं निर्णय अंतिम होगा जो सभी संबंधितों पर बंधनकारी होगा।

19.2.10

रजिस्ट्रार जनरल
छ0ग0 उच्च न्यायालय
बिलासपुर (छ0ग0)